IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4(10)महिलासभा/विधि/पंरा/2019/1359 जयपुर, दिनांकः **09.08.2019**

1. ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद,
   समस्त, राजस्थान ।

विषय :— महात्मागांधी ग्रामोत्थान शिविर. के दौरान महिला सभाओं के आयोजन बाबत ।

राज्य में **15 अगस्त, 2019 से 02 अक्टूबर, 2019** तक चलाये जाने वाले **महात्मागांधी ग्रामोत्थान शिविर** के दौरान राज्य की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ''महिला शक्ति समूह'' का गठन किया जायेगा । विभागीय पत्र एफ.2( )पंरावि/प्रशा.1/विविध/2019/1599 दिनांक 08.8.2019 के द्वारा इस सम्बन्ध में आपको विस्तृत दिशा–निर्देश भिजवाये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में आप निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें:—

1. 15 अगस्त, 2019 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में उक्तानुसार **''महिला शक्ति समूह''** के गठन हेतु प्रस्ताव पारित करवाया जाकर, समूह गठित किया जाना सुनिश्चित करावें ।

2. विभाग द्वारा पूर्व में पत्र क्र0एफ.4(10)महिलासभा/विधि/पंरा/2012/2326 दिनांक 30.10.2012 के द्वारा महिला सभाओं का गठन करवाया जाकर, नियमित रूप से महिला सभाओं के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया था । अतः इसी क्रम में आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाले शिविरों के दिन महिला मुद्दों

एवं ''महिला शक्ति समूह'' के कियाकलापों एवं उद्धेश्यों पर चर्चा करने हेतु महिला सभाओं का आयोजन भी करवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

3. राज्य में वर्ष में चार ग्राम सभाऐं 26 जनवरी, 01 मई, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को आयोजित किया जाना निर्धारित की हुई हैं । अतः बिन्दु सं0 2 के अनुसार महिला सभाओं का आयोजन होने के पश्चात नियमित रूप से वर्ष में इन चार ग्राम सभाओं के आयोजन के एक दिवस पूर्व महिला सभाओं का आयोजन भी आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
6. एसीपी कम उपनिदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)